

**ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुमित्रा देवी	01.04.2023 से 31.03.2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	09.68
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.83
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.01
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.54
5)	8.2	आपूर्तिकर्ता को बिना w,x फॉर्म के अनियमित भुगतान	1.53
6)	8.3	जी.एस.टी. की कटौती से सम्बंधित चालान सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	0.07
7)	8.4	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या -02 दिनांक 30-11-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसके संदर्भ में सचिव द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया

कि केवल कुछ ही अंकेक्षण पैरों का निपटान किया गया है। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	06,6.1	अनिर्णीत	-
2.	0.8	अनिर्णीत	
3.	10	अनिर्णीत	-
4.	12	अनिर्णीत	-
5.	13	अनिर्णीत	-
6.	14	अनिर्णीत	-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	03	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया गया है।
2.	04	-	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
3.	4.2	अनिर्णीत	-
4.	5.1,5.2	अनिर्णीत	-
5.	6.1,6.2	अनिर्णीत	-
6.	7.1	अनिर्णीत	-
7.	8.1	अनिर्णीत	-
8.	8.2	निर्णीत	-

9.	8.3,8.4	अनिर्णीत	-
10.	9.1,9.2	अनिर्णीत	-
11.	9.3	निर्णीत	-
12.	9.4	निर्णीत	-
13.	9.5	अनिर्णीत	-
14.	10.1,10.2,10.3	अनिर्णीत	-
15.	11	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खंड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-11-2024 से 04-12-2024 तक ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2023-2024	01/2024	03/2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹3200/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या -13 दिनांक 03-12-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2023-24	541554	64418	605972	67068	538904

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2023-24	1470862	6817922	8288784	7321148	967636

कुल योग (1 + 2) = ₹538904+ ₹967636= ₹1506540

(ब) ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	मद	राशि
				31-03-2024
1.	18910114504,	HPSCB SALOONI	15TH FC VKVNY/SF/BASP/5	732510
2.	18910103701,	HPSCB SALOONI	TH SFC/SDP	717404
3.	40319306860,	SBI LACHORI	RGSA	4813
4.	36501902640,	SBI LACHORI	GENERAL	12341
5.		Cash In Hand		0
			Total	1467068

अन्तर (ब-अ) ₹1506540 - ₹ 1467068 = ₹ -39472

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹-39472.00 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ 0.40 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹-39472.00 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-10 दिनांक :- 03.12.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर

तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।”

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.4 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए हैं और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों में प्रविष्टियाँ की जा रही थी जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-10 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.5 e-Gramswaraj में संधारित लेखों तथा MANUAL संधारित लेखों में ₹13.03 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे Gramswaraj सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैनुअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार ₹1303676.00 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष ₹1506540.00

31-03-2024 को पंचायत द्वारा मैनुअल संधारित रोकड़बही का अन्त शेष ₹ 2810216.00

अन्तर -₹1303676.00

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा **e-Gramswaraj** सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 03.12.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि **e-Gramswaraj** में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है।

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.6 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था । अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है । जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा ।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है । ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके ।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था । जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है

कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक :- 03.12.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान :-

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹9.68 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा "परिशिष्ट - 3" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **967636.00 लाख** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ठाकरी मट्टी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या -10 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अध्याचना संख्या -1 दिनांक 30.11.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र दिनांक 03/12/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है।

यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए

थे। अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.4 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 02-12-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.83 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बंधित ग्राम पंचायत के खातों में

समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹82340/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2023-24	70340	480	25	12000	82340	0	82340

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 04 दिनांक 02-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलग्न परिशिष्ट -4 अनुसार)** वसूली गई राशि **₹1250** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2023-24	1250
	योग	1250

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-05 दिनांक 02/12/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.67 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹53941** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रमांक	बिल /वाउचर संख्या व दिनांक	शीर्ष का नाम	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	29/04.08.23	SDP	RADHE SHYAM VILL TUHIN	CARRIAGE OF SAND	5760.00
2	35/04.08.23	SDP	SUBHASH CHAND VILL MATTI	CARRIAGE OF STONE	17671.00
3	36/04.08.23	SDP	SUBHASH CHAND VILL MATTI	CARRIAGE OF STONE	20000.00
4	7415.03.24	OWN SOURCE	THAKUR INFORTECH MAIN BAZAR SALOONI	STATIONARY	10510.00
				योग	53941.00

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 03/12/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। दिया गया प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है। अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए। अन्यथा उक्त अनियमितता से हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित व्यक्ति से वसूल करके उचित स्त्रोत में जमा किया जाए व सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹1.53 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹152518.00 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹207910.0 का अनियमित भुगतान किया गया।

क्रमांक	बिल /वाउचर संख्या व दिनांक	शीर्ष का नाम	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	60/21.12.23	BASP	M/S JARYAL BROTHERS VPO SALOONI	SAND	39178.0

2	060/04.03.24	MNREGA	M/S JARYAL BROTHERS VPO SALOONI	STONE	48361.0
3	207	MNREGA	AC STONE CRUSSER LACHORI	AGG,SAND	14889.0
4	229-230	MNREGA	AC STONE CRUSSER LACHORI	AGG,SAND	50090.0
				कुल	152518.0

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: -03 दिनांक 03.12.24 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया की उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी।

अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.86 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹152518.0/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे

इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ 7263/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

8.4 सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹6873.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	मद	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	21/04.08.23	SDP	M/S MUKESH HARDWARE STORE	IRON	6873
				Total	6873

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -08 दिनांक 03-12-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से

लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9 विविध

9.1 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO रजिस्टर		

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक 03.12.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सर्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक :-03-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
12. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

21 FEB 2025

21 FEB 2025

(कृष्ण लाल नेगी)

सहायक निदेशक 24.02.25

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009 a

दूरभाष-0177-2626670

1321-1325

का०/७

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 23/2018 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ठाकरी मट्ठी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी)

सहायक निदेशक 24.02.25

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

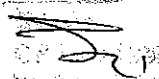
शिमला-171009 a

दूरभाष-0177-2626670

24 FEB 2025

का०/७

परिशिष्ट -1		पैरा संख्या 4.1(क)(i)	के संदर्भ में			
Financial Position of Own Sources in r/o				" GP THAKRI MATTI "	Dev. Block SALOONI	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance	
2023-24	541554	64418	605972	67068	538904	


 CP Officer
 Distt Chamba H.P



Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	1470862	6817922	8288784	7321148	967636



Grant in /0		" GP THAKRI MATTI "	Dev. Block SALOONI	Distt Chamba HP-176314	Year Ended	2023-24
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC/VKVNY/SDP/BASP	534077	1402691	1936768	1603802	332966
2	RGSA	4685	128	4813	0	4813
3	15TH FC	932100	338611	1270711	640854	629857
4	MNREGA	0	5076492	5076492	5076492	0
	TOTAL	1470862	6817922	8288784	7321148	967636

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024		Own sources		538904
2	Cash Book Balance on 31.03.2024		5TH SFC/VKVNY/SDP/BASP		332966
3	Cash Book Balance on 31.03.2024		RGSA		4813
4	Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC		629857
5	Cash Book Balance on 31.03.2024		MNREGA		0
			TOTAL		1506540
	Balance as Per Bank on 31.03.24				
	A/c No	Branch	Head		
1	18910114504,	HPSCB SALOONI	15TH FC		732510
2	18910103701,	HPSCB SALOONI	VKVNY/SF/BASP/5TH SFC/SDP		717404
3	40319306860,	SBI LACHORI	RGSA		4813
4	36501902640	SBI LACHORI	GENERAL		12341
		Cash In Hand			0
	Total				1467068
				Diffrence	-39472

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit except 15th fc

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .

3. mgnarega cash book not produced in audit. So income and expenditure taken from financial statement.

14/12/1961

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत ठाकरीमट्टी

[illegible]

